भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 832

<u>दिनांक 7 फरवरी, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

परीक्षण प्रयोगशालाएं

832. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन संगठनों द्वारा स्थापित परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद के कार्यकलापों को बढ़ावा देने का विचार है और यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा संचालित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) से सिफारिश प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इस मामले की जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या मंत्रालय ने इस संबंध में एफएसएसएआई और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) को उत्तर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन संगठनों द्वारा स्थापित परीक्षण प्रयोगशालाओं को आयातक देशों की आवश्यकताओं के आधार पर जिसमें अवसंरचना, प्रौद्योगिकी, परीक्षण की

पद्धतियों के उन्नयन और प्रयोगशाला कर्मियों के प्रशिक्षण सहित विभिन्न उपायों के जरिए नियमित रूप से सुदृढ़ किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि परीक्षण सुविधाएं अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं।

इसके अलावा, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) निर्यात प्रमाणन के लिए प्रयोगशाला अवसंरचना के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए अपनी अधिकृत प्रयोगशालाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ख) काजू और इसके उत्पादों को भारत सरकार की दिनांक 29.07.2022 की अधिसूचना के माध्यम से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) अधिनियम, 1986 के तहत "अनुसूचित उत्पाद" के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इसलिए एपीडा काजू और इसके उत्पादों के निर्यातों को बढ़ावा देने और विकास के लिए काम कर रहा है।

(ग) से (च) इस संबंध में वाणिज्य विभाग की टिप्पणियां, यह स्पष्ट करते हुए कि भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद अब वाणिज्य विभाग से संबद्ध नहीं है, एफएसएसएआई को भेज दी गई हैं।

****